न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 132/2022

1 मृतक श्रीचन्द पुत्र हनुमान।
1/1 नारायणी देवी पत्नी श्रीचन्द।
1/2 राजेन्द्र पुत्र श्रीचन्द।
1/3 सीताराम पुत्र श्रीचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।
1/4 सुनिता पुत्री श्रीचन्द पत्नी राजेन्द्र।
1/5 विमला पुत्री श्रीचन्द पत्नी फुलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण भोमपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी श्रीचन्द बनाम राजेन्द्र सिंह प्रकरण संख्या 104/2018 आदेश दिनांक 19.07.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 08/2/24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अपने खेत के दक्षिण में जोहड़ भूमि से अनावेदक/रेस्पोडेंट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1074/270, 1075/269 में से होकर अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1112/275,274,275/995 में अत्यान्तिक आवश्यकता के रास्ता खुलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी के खेत में जाने के लिये पातुसरी के कमांक 295/966,296/965 व खसरा नम्बर 285 में से वैकल्पिक रास्ते की जवाब देही की थी विचारण न्यायालय के मामले में साक्ष्य न लेकर तहसीलदार की रिपोर्ट जिसमें बाकरा पातुसरी रास्तो से पगडण्डी की रिपोर्ट आने पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार ने अधुरी रिपोर्ट की थी रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी के खेत में 285,296/965,295/966 में से वैकल्पिक रास्ता होने की जवाब देही की है उपरोक्त खेत बाकरा पातुसरी के रास्ते पर नही लगते है

तहसीलदार ने बाकरा पातुसरी रास्ते से अपीलार्थी के खेत तक पगडण्डी की कोई निशान देही नहीं की। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की अधुरी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में गलती की है। यदि पातुसरी बाकरा के रास्ते से अपीलार्थी के खेत तक पगडण्डी रिकार्ड कायम की जाती है उस सुरत में अपीलार्थी वैकल्पिक रास्ता भी लेने को तैयार है लेकिन वास्तविकता है कि अपीलार्थी के खेत में कोई वैकल्पिक रास्ता नही लगता है। अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्धारण के लिये इस निर्देश के साथ भिजवाया जाने की अपीलार्थी के खेत में पहुचने के लिये अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दिखलाया रास्ता कायम कर रास्ता खुलवाया जावे विकल्प में तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के खेत से बाकरा पातुसरी सड़क तक रास्ता में कायम करवाया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 490, आर. आर.टी. 2019(2) पेज 1507, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 342 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवेदक के खेत में जाने के लिए ग्राम पातुसरी के खसरा नम्बर 295/966,296/965 एवं 285 में से आने जाने के लिए पहले वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो खुला है तथा अनावेदक के खेत से आने जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। आवेदक को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। इसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट के अंकन से होती है। इस मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शे में प्रार्थी के खेत से बाकरा से पातुसरी सड़क तक डोटेड लाईन होना एवं पगडण्डी चालु होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1543, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 40 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के खेत में जाने के लिए ग्राम पातुसरी के खसरा नम्बर 295/966,296/965 एवं 285 में से आने जाने के लिए पहले वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो खुला है तथा अनावेदक के खेत से आने जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। आवेदक को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। इसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट के अंकन से होती है। इस मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शे में प्रार्थी के खेत से बाकरा से पातुसरी सड़क तक डोटेड लाईन होना एवं पगडण्डी चालु होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर